

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक- 14 / 09 / 2026.

* अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

द्वारा :-

* आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :-

राज्य स्कीम अन्तर्गत "सात निश्चय-3" के तहत "बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड" के गठन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 में कुल रुपये 14,79,85,000/- (चौदह करोड़ उनासी लाख पचासी हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त राज्य स्कीम अन्तर्गत "सात निश्चय-3" के तहत "बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड" के गठन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 में कुल रुपये 14,79,85,000/- (चौदह करोड़ उनासी लाख पचासी हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक-1, 2, 3 एवं 4 के रूप में संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कम उत्पादकता वाली स्थानीय नस्ल की बकरियों को उच्च उत्पादकता वाले नस्ल से प्रतिस्थापित किया जाना है। साथ ही, इच्छुक किसानों अथवा परम्परागत बकरीपालकों के द्वारा बकरी पालन को बढ़ावा देने एवं उन्नत नस्ल के बकरा/बकरी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है। बकरी/बकरा का माँस पशुजन्य प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है।
3. बकरी/बकरा उत्पादन से पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है। साथ ही बकरीपालकों की आय में वृद्धि होती है तथा राज्य में खाद्य पदार्थों एवं प्रोटीन की उपलब्धता में भी वृद्धि होती है।
4. इस योजना के कार्यान्वयन से निम्नांकित लाभ होंगे :-

- (i) राज्य में बकरी/बकरा उत्पादन से मानव उपयोग के निमित्त पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि।

- (ii) उन्नत नस्ल के बकरी/बकरा के उत्पादन में राज्य की आत्मनिर्भरता।
 - (iii) जीविकोपार्जन के नये अवसर की उपलब्धता।
 - (iv) बकरीपालकों की आय में वृद्धि।
 - (v) बकरा/बकरी मांस उत्पादन में वृद्धि।
5. "बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड" के गठन से सदस्य सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों द्वारा पालित बकरे के मीट व मीट के उत्पाद, बकरी के दूध के उत्पाद एवं सेवाओं के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण एवं बकरी की समुचित व्यवस्था करना है, ताकि बकरी पालक सहकारी समितियों एवं उसके सदस्यों को भरपूर लाभ प्राप्त हो सके।
6. इस योजना के कार्यान्वयन के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :-
- (i) सदस्य सहकारी समितियों तथा उनके सदस्यों द्वारा पालित बकरे-बकरियों, मीट, बकरी के दूध व अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण एवं विपणन करना।
 - (ii) सदस्य सहकारी समितियों एवं उनके सदस्यों द्वारा पालित बकरियों के संग्रहण, श्रेणीकरण, वृहत बाजार, प्रसंस्करण, परिवहन व अन्य विपणन की व्यवस्था करना।
 - (iii) आवश्यकतानुसार बकरियों की खरीद-बिक्री, चारा उत्पादन, टीकौषधि आदि क्रय करना या क्रय करने में सहयोग देना या इस हेतु किसी से सहयोग प्राप्त करना।
 - (iv) सदस्य समितियों के व्यवसाय विकास हेतु भवन, गोदाम, जमीन, मशीन तथा अन्य संपत्ति क्रय करना, किराये पर लेना अथवा किराये पर देना।
 - (v) अधिनियम, नियमावली और उपविधियों में वर्णित प्रावधान के अधीन फेडरेशन के व्यवसाय संपादन हेतु चल व अचल संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण करना या प्राप्त करना या लीज पर लेना तथा जब फेडरेशन के व्यवसाय हेतु आवश्यक न रह जाए, तो उसको बेचना अथवा अन्य प्रकार से निष्पादित करना।
 - (vi) सदस्य सहकारी समितियों को वस्तुओं के उत्पादन वृद्धि हेतु उपाय, सुझाव, प्रशिक्षण व उनके क्रियान्वयन हेतु सहयोग देना तथा अन्य तकनीकी सेवाएँ/सुविधाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयं अथवा किसी मान्य संस्था के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराना या उसकी व्यवस्था करना।
 - (vii) सदस्य सहकारी समितियों को प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं अंकेक्षण के सभी पहलुओं पर सलाह, सहयोग एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराना तथा इस हेतु आवश्यकतानुसार शुल्क निर्धारित करना एवं उसकी वसूली करना।
 - (viii) सदस्य सहकारी समितियों को प्रबंधकीय, वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक, विधिक तथा अन्य आवश्यक सहयोग व सलाह उपलब्ध कराना।
 - (ix) अपने उत्पादन का स्वयं के या अन्य ट्रेडमार्क/ब्रांड के नाम से विपणन करना।

- (x) स्वयं अथवा सदस्य सहकारी समितियों के लिए वस्तुओं के परिवहन तथा भण्डारण का कार्य करना।
- (xi) गुण नियंत्रण सुविधाओं की स्थापना तथा वस्तुओं के लिए गुणों के मापदण्डों को प्रस्तावित करना/क्रियान्वित करना।
- (xii) सदस्य सहकारी समितियों के विकास के कार्यक्रमों का अध्ययन करना और प्रत्यक्ष रूप से अथवा प्राधिकृत संस्था के माध्यम से सहयोग देना।
- (xiii) ट्रस्ट बनाना तथा कर्मचारियों के लाभार्थ तथा सहयोग एवं सहायतार्थ निधि बनाना।
- (xiv) सहकारी सिद्धांतों का प्रचार करना तथा सदस्य सहकारी समितियों को सहकारी ज्ञान, विशेष रूप से व्यापार संबंधी ज्ञान उपलब्ध कराना।
- (xv) फेडरेशन की सभी चल तथा अचल संपत्तियों का सभी प्रकार के खतरों से सुरक्षा हेतु बीमा करना।
- (xvi) फेडरेशन एवं सदस्य सहकारी समितियों के लिए सामान्य एवं अन्य बीमों का कार्य करना।
- (xvii) सदस्य सहकारी समितियों को विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराना।
- (xviii) फेडरेशन तथा सदस्य सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना।
- (xix) प्रमंडल स्तर पर बकरी प्रक्षेत्र की स्थापना, प्रसंस्करण केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों आदि की स्थापना करना, स्वामित्व ग्रहण करना, उनका प्रबंध करना, संचालन करना एवं सहयोग देना।
- (xx) शाखा कार्यालयों एवं बिक्री केन्द्रों की स्थापना करना।
- (xxi) राज्य में एवं अन्य राज्यों में शाखाएं एवं डिपो की स्थापना करना।
- (xxii) प्रत्यक्ष अथवा किसी मान्य एजेन्सी/संस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास की गतिविधियाँ प्रारंभ करना, ताकि अधिक से अधिक महिलाएँ आत्मनिर्भर हो सकें।
- (xxiii) सदस्य सहकारी समितियों के सामान्य हितों से संबंधित तथा उनमें आगे सुधार हेतु समस्त विषयों का निराकरण करना व साथ ही राज्य स्तर पर कार्य कर रहे जीविका के साथ अभिसरण।
- (xxiv) सरकार और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, संगठनों से अनुबंध करना और उनका निष्पादन करना।
- (xxv) व्यवसाय के लिए आवश्यक होने पर विभिन्न सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के अंश खरीदना।
- (xxvi) सहकारी क्षेत्र में बकरीपालन को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सदस्य सहकारी समितियों को निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित शर्तों या प्रतिभूति पर नगद एवं वस्तुओं के रूप में ऋण या अग्रिम प्रदान करना।

- (xxvii) सहकारी बैंकों, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या अन्य व्यवसायिक बैंकों तथा अन्य किसी भी वित्तीय संस्था से प्रतिभूतियों पर या अन्य प्रकार से ऋण प्राप्त करना।
- (xxviii) बकरी वार्ता का प्रसारण करना तथा इस हेतु समाचार पत्र विज्ञप्ति एवं अन्य साहित्य का प्रकाशन करना।
- (xxix) सदस्य सहकारी समितियों के गैर साख कार्यक्रमों में सहयोग देना एवं उनके व्यापार बढ़ाने में आवश्यक सहायता एवं मार्गदर्शन देना व उनकी गतिविधियों का नियंत्रण, समन्वय एवं संगठन करना।
- (xxx) सदस्य सहकारी समितियों को उनकी मीट व मीट के उत्पाद, दूध व दूध के उत्पाद के निस्तारण पर ऋण देना।
- (xxxi) ऐसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों के सम्पादन तथा पूर्ति के लिए एवं संस्था के व्यवसाय के विकास एवं प्रगति के लिए प्रासंगिक और सहायक हो।
- (xxxii) सदस्य सहकारी समितियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से मार्गदर्शी दिशा-निर्देश जारी करना।
- (xxxiii) अनुसंधान और मूल्यांकन करना तथा सदस्य सहकारी समितियों के लिए भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना।
- (xxxiv) सदस्य सहकारी समितियों के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध विकसित करना।
- (xxxv) सदस्य सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और समितियों के अनुकूल नीतियों और विधान के लिये अभिमत प्राप्त करने का प्रयास करना।
- (xxxvi) अपने सदस्य सहकारी समितियों की ओर से कारोबारी सेवाएं अपने नियंत्रण में लेना।
- (xxxvii) सदस्य सहकारी समितियों में यथा समय निर्वाचन संपन्न कराने हेतु आवश्यक निर्देश देना।
- (xxxviii) सदस्य सहकारी समितियों के साधारण सम्मेलनों के नियमित संचालन हेतु सहायता करना।
- (xxxix) सदस्य सहकारी समितियों के हित में को भी अन्य सेवा प्रदान करना।
- (xl) बकरीपालन से जुड़े लघु उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, यंत्र/उपकरण की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था करना तथा उत्पादित वस्तुओं के बकरी की व्यवस्था करना।
- (xli) प्राथमिक बकरी पालक सहयोग समिति के सदस्यों के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना।
- (xlii) सदस्य सहकारी समिति के उत्पादों के संग्रहण, प्रसंस्करण, बकरी, अनुसंधान के कार्य स्वयं करना, सदस्य संस्थाओं के माध्यम से करना तथा बिहार सरकार एवं केन्द्र सरकार की तत्संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन करना।

- (xliii) सदस्य सहकारी समितियों के सदस्यों को रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
 - (xliv) राज्य के अन्तर्गत अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
 - (xlv) फेडरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना।
7. योजना कार्यान्वयन के क्रम में व्यावहारिक कठिनाई आने की स्थिति में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के स्तर से यथा आवश्यक आंशिक संशोधन किया जायेगा।
 8. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार की सहमति से पशुपालन निदेशालय के द्वारा विस्तृत कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया जायेगा।
 9. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना, सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार, सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार एवं सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना होंगे। निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
 10. बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लि० की उपविधि में वर्णित प्रावधान के आलोक में निदेशक मंडल की संरचना निम्नवत् होगी :-
 - (i) परिसंघ के निदेशक मंडल में सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग पदेन अध्यक्ष होंगे।
 - (ii) परिसंघ के निदेशक मंडल में जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पदेन सदस्य होंगे।
 - (iii) परिसंघ के निदेशक मंडल में आरक्षण अपवर्जित रहेगा।
 - (iv) परिसंघ के निदेशक मंडल में 'प्रबंध निदेशक' के रूप में संयुक्त सचिव/पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के किसी पदाधिकारी को सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।
 - (v) परिसंघ के निदेशक मंडल में दो विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में निदेशक, पशुपालन एवं रजिस्ट्रार, सहयोग समितियाँ अथवा संयुक्त निदेशक, सहकारिता विभाग को सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग द्वारा नामित किया जायेगा।
 - (vi) राज्य स्तर पर बकरी परिसंघ के निबंधन उपरांत निदेशक मंडल की स्वीकृति के पश्चात् राज्य स्तर एवं प्रमंडल स्तर पर (बकरी पालक सहकारी संघ) आवश्यकतानुसार संविदा के आधार पर मानव बल की नियुक्ति की जायेगी। साथ ही परिसंघ एवं संघ को कार्यालय व्यय, सामग्री व पूर्तियाँ, प्रशिक्षण व्यय एवं अन्य उपस्कर खरीदारी की भी शक्तियाँ प्रदत्त होंगी।
 11. योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार

लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पी०एल० खाता (सं०-PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा तथा कार्यान्वयन करने हेतु संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।

12. वित्तीय वर्ष 2026-27, 2027-28 एवं 2028-29 में प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष के तहत विभिन्न विषय शीर्षों से किया जाना है :-

- (i) बजट मुख्य शीर्ष 2403-पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष- 101- पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग सं०-02, उपशीर्ष 0111- पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन (सात निश्चय-3), विपत्र कोड 02-2403001010111 (अनुलग्नक-1).
- (ii) बजट मुख्य शीर्ष 2403-पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789 -अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, मांग सं०-02, उपशीर्ष 0114- पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन (सात निश्चय-3), विपत्र कोड 02- 2403007890114 (अनुलग्नक-2).
- (iii) बजट मुख्य शीर्ष 2403-पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष- 796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग सं०-02, उपशीर्ष 0134- पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन (सात निश्चय-3), विपत्र कोड 02-2403007960134 (अनुलग्नक-3)

वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी परिसंघ (फेडरेशन) लिमिटेड" के गठन अन्तर्गत सभी विपत्र कोड के तहत सभी विषय शीर्षों में पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध है। इस योजना के तहत व्यय को बजट उपबंध के अधीन सीमित रखा जायेगा।

13. निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/ 2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10. 2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
14. दिनांक-12.08.2026 को संपन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)76/2026 के पृष्ठ 18-17/प०.
15. दिनांक-02.09.2026 को मद संख्या-05 के रूप में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस० (6)76/2026 के पृष्ठ-23/टि०.

16. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)76/2026 के पृष्ठ-25/टि० तथा डायरी संख्या-620, दिनांक-08.09.2026.

17. वित्त विभागीय पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(कुमार शैलेंद्र)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)76/2026-5022 पटना-15, दिनांक-14/09/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना/बजट शाखा)/ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)76/2026-5022 पटना-15, दिनांक-14/09/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)76/2026-5022 पटना-15, दिनांक-14/09/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)76/2026-5022 पटना-15, दिनांक-14/09/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)76/2026-5022 /पटना-15, दिनांक-14/09/2026.

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-02.09.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-05 के रूप में दी गयी स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)76/2026-5022 पटना-15, दिनांक-.....14/.....09/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)76/2026-5022 पटना-15, दिनांक-.....14/.....09/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ/आई०टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)76/2026-5022 पटना-15, दिनांक-.....14/.....09/2026.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक की अवधि में राज्य स्कीम अन्तर्गत "सात निश्चय-3" के तहत "बिहार राज्य बकरी पालक परिसंघ (फेडरेशन)" के गठन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी:-

सामान्य घटक (02-2403001010111)

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि				निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
		वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0111.3106 -सहायक अनुदान-गैर वेतन	426.32	404.68	404.68	1235.68	निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।

(कुल रुपये बारह करोड़ पैंतीस लाख अड़सठ हजार मात्र)

5022
14/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक की अवधि में राज्य स्कीम अन्तर्गत "सात निश्चय-3" के तहत "बिहार राज्य बकरी पालक परिसंघ (फेडरेशन)" के गठन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी:-

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (02-2403007890114)

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि				निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
		वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0114.3106 -सहायक अनुदान-गैर वेतन	81.68	77.54	77.54	236.76	निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।

(कुल रुपये दो करोड छत्तीस लाख छिहत्तर हजार मात्र)

5022
14/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव

14/09

अनुलग्नक-3

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक की अवधि में राज्य स्कीम अन्तर्गत "सात निश्चय-3" के तहत "बिहार राज्य बकरी पालक परिसंघ (फेडरेशन)" के गठन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी:-

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (02-2403007960134)

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि				निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
		वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0134.3106 -सहायक अनुदान-गैर वेतन	2.55	2.43	2.43	7.41	निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।

(कुल रुपये सात लाख एकतालिस हजार मात्र)

5022
14/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-4

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक की अवधि में राज्य स्कीम अन्तर्गत "सात निश्चय-3" के तहत "बिहार राज्य बकरी पालक परिसंघ (फेडरेशन)" के गठन की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	विषय शीर्ष	प्रस्तावित राशि			
		वित्तीय वर्ष 2026-27	वित्तीय वर्ष 2027-28	वित्तीय वर्ष 2028-29	कुल
1	2	3	4	5	6
1	3106 -सहायक अनुदान-गैर वेतन	510.55	484.65	484.65	1479.85

(कुल रुपये चौदह करोड़ उन्नासी लाख पचासी

5022
14/09/26

सरकार के संयुक्त सचिव